क्या सत्ता और संगठन को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं?

इसलिए चुनिंदा नेताओं को ही समितियों में शामिल किया गया है, जिन कमेटियों पर सारा दारोमदार, चुनावों में वे बेअसर होंगी?

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त लोकसभा पर्यवेक्षकों तथा प्रदेश कांग्रेस की पोलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक 11 अगस्त को वार रूम पर संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, राजस्थान प्रभारी सुखजिन्द्र सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसुदन मिस्त्री लेंगे। बैठक में सचिन पायलट, मोहनप्रकाश सहित सहप्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, वीरेन्द्र सिंह राठौड़, राज्य पर्यवेक्षक शशिकांत सेंथिल सहित लोकसभा पर्यवेक्षकगण तथा कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे।

कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस चुनावी अभियान में भाजपा को पीछे छोड़ चुकी है। कांग्रेस नेता यह बात इसलिए कह रहे हैं, कि राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति और राजनीतिक मसलों की कमेटी का गठन कर दिया है, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव अभियान और राजनीतिक मसलों को देखेगी। वैसे इन दोनों कमेटियों को ध्यान से देखा जाए तो चुनाव समिति में जहां 29 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

वहीं राजनीतिक मसलों की कमेटी में 35 नेताओं को शामिल किया गया है। अब इन दोनों कमेटियों को ध्यान से देखें, तो चुनाव समिति के 29 नेताओं को हूबहू राजनीतिक मामलों की समिति में भी शामिल कर लिया गया है। वहीं बदला सिर्फ इतना है कि चुनाव समिति के अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बनाए गए हैं, तो राजनीतिक मसलों की कमेटी के अध्यक्ष राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बनाए गए हैं।

> ■ **क्योंकि चुनाव समिति में शामिल 29 नेताओं को ही पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में सदस्य बना दिया, जो खुद ही चुनाव लड़ेंगे!**

इसके अलावा चुनाव समिति और राजनीतिक मसलों की कमेटी में बदला इतना है कि 6 नए सदस्य राजनीतिक मसले देखने वाली कमेटी में शामिल किए गए हैं। इनमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, विधायक प्रशांत बैरवा, हाकम अली खान, रफीक खान, एआईसीसी सचिव कुलदीप इंदौरा हैं। यानी कि इन 6 सदस्यों के अलावा चुनाव समिति की सूची और राजनीतिक मसलों के मामले की समिति की सूची देखी जाए तो क्रम संख्या भी नहीं बदली गई है। सिर्फ सीपी जोशी वरिष्ठ हैं, ऐसे में उन्हें राजनीतिक मसलों की कमेटी में शामिल किया गया है, इसलिए एक जगह क्रम बदला गया है। इसके अलावा उसी क्रम के साथ में चुनाव समिति के सदस्य राजनीतिक मसलों की समिति में भी सदस्य बनाए गए हैं।

कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता और संगठन को अपने ही नेताओं और अपने ही पदाधिकारियों पर ज्यादा विश्वास नहीं है। यही कारण है कि दोनों समितियों में 29 नेता हूबहू लेकर वही शामिल कर लिए गए।

दूसरी और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता और संगठन इन नेताओं के हाथों मजबूर हैं। ऐसे में इन नेताओं को हर समिति में शामिल किया जाना मजबूरी सा बन गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जो कांग्रेस राजस्थान में सत्ता रिपीट करने की बात कर रही है, वह यह भी तय नहीं कर पा रही है कि किसे तो चुनाव लड़ाएगी, किससे संचालन करवाएगी और कौन नेता राजनीतिक मसलों पर अपने विचार पार्टी को देंगे। क्योंकि इन दोनों समितियों में शामिल अधिकांश नाम चुनाव लड़ने वाले हैं, इनमें से मुख्यमंत्री अशोक तय नहीं कर पा रहे है कि किसे तो चुनाव लड़ाएंगे, किससे संचालन करवाएंगे और कौन नेता राजनीतिक मसलों पर अपने विचार पार्टी को देंगे। क्योंकि इन दोनों समितियों में शामिल अधिकांश नाम चुनाव लड़ने वाले हैं, इनमें से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, सचिन पायलट को छोड़ दें तो अधिकांश नेताओं की स्थिति यह है कि चुनाव के दौरान वह अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में प्रचार के लिए जाने का जोखिम भी नहीं उठा पाएंगे।

इसके बावजूद ऐसे नेताओं को दो-दो समिति का सदस्य बनाया गया है। ऐसे में भले ही कांग्रेस के नेता खुद को भाजपा के चुनाव अभियान से आगे बता रहे हो, लेकिन फिलहाल बनी चुनाव समिति और राजनीतिक मामलों की समिति की सूची देखने के बाद तो लगता है कि कांग्रेस के होमवर्क में अभी बहुत सी कमियां देखने को मिल सकती है।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज समाप्त

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू व कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने गुरूवार को बिडला ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ समारोह में यह घोषणा की। उल्लेखनीय है कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट एवं किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क समाप्त करने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा और बढ़ाते हुए समस्त घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की गई है।

कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए शाहपुरा, जयपुर के वीर सपूत बाबूलाल हरितवाल को राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने उनके पैतृक गाँव खोरालाड़खानी पहुँचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि वीर सपूत बाबूलाल हरितवाल का भारत माँ की रक्षा के लिए बलिदान सदैव अमर रहेगा।

आयकर विभाग ने 4 किलो सोने के जेवर रिलीज किये

जयपुर, (का.सं.)। हाईकोर्ट के आदेश से आयकर विभाग ने बुधवार को ज्वैलर की 4 किलो स्वर्णाभूषण रिलीज कर दिये।

मामले के अनुसार आयकर विभाग की इंवेस्टिगेशन विंग जोधपुर ने एक ज्वैलर के यहां सर्च कर 4 किलो स्वर्णाभूषण जब्त किये। जबकि ज्वैलर ने धारा 132 के बयानों में इसे अपना स्टॉक बताया। ज्वैलर के वकील सिद्धार्थ रांका ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बैंच में रिट दाखिल की व बहस के दौरान तर्क दिया कि ज्वैलर ने अपने धारा 132 के बयानों में इस ज्वैलरी को अपना स्टॉक बताया है। उन्होंने कहा कि ज्वैलर ने इस जब्त ज्वैलरी को स्टॉक इन ट्रेड बताया व साक्ष्य पेश किये। उनके तर्कों के आधार पर अदालत ने ज्वैलरी रिलीज करने का आदेश दिया और कहा कि आयकर विभाग ने 120 दिनों में न तो जब्ती को कन्फर्म करने का, ना ज्वैलरी को रिलीज करने का आदेश दिया।

कोटपूतली नगर परिषद की तोड़फोड़ के पक्ष में दी गई दलील से संतुष्ट नहीं हुई अदालत

अदालत ने कहा कि नगर परिषद अगली तारीख तक सड़कों की चौड़ाई दर्शाते हुए नक्शे पेश करे

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटपूतली नगर परिषद द्वारा हाईवे से संलग्न दो सड़कों पर, कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए, तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हुए करीब 150 मकानों व दुकानों को ध्वस्त करने से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई। नगर परिषद की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में 59 मामलों को एकसाथ संलग्न कर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह नगर परिषद की ओर से प्रस्तुत तर्कों से संतुष्ट नजर नहीं आये कि जिन सड़कों की चौड़ाई के लिये तोड़फोड़ की गई थी, उस सड़क को चौड़ा करने से पूर्व नगर परिषद ने कानूनी प्रक्रिया की पूरी तरह से पालना की थी। अदालत ने नगर परिषद को इस मामले की अगली सुनवाई तक उक्त क्षेत्र के नक्शे पेश करने के लिये कहा है जिनमें उक्त सड़कों की, तोड़फोड़ की कार्रवाई से पूर्व, की वास्तविक चौड़ाई चिन्हित हो।

अदालत नगर परिषद की ओर से इस मौखिक दलील से भी संतुष्ट नहीं हो पायी कि जिस सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर 80 फीट करने का दावा किया जा रहा था, उस सड़क की चौड़ाई कार्रवाई से पूर्व 60 फीट थी। दरअसल नगर परिषद की ओर से ही अदालत के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किये गये थे कि पूर्व में तत्कालीन नगर पालिका की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि 60 फीट सड़क को बढ़ाकर 80 फीट किया जायेगा और कार्रवाही के दौरान सड़क पर निर्मित सभी अस्थाई अतिक्रमण को हटाया जायेगा।

> ■ **अदालत ने पूछा कि सड़क को चौड़ा करने से पूर्व तत्कालीन नगर पालिका ने आपत्तियां आमंत्रित की थीं या नहीं? और सड़क चौड़ा करने का प्रस्ताव गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया गया था कि नहीं?**

इस मामले में 50 से भी अधिक याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने ही मुख्य तौर पर पैरवी की थी। उन्होंने अदालत में 2011 के मास्टर प्लान की प्रति भी पेश की थी जिसके अनुसार जिन दो सड़कों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, यानी शनि मंदिर से सरदार स्कूल तक और नगर पालिका तिराहा से कोटपूतली चौराहे तक, उन सड़कों की चौड़ाई कभी 60 फीट थी ही नहीं। उन्होंने अदालत को बताया कि तत्कालीन नगर पालिका ने 60 फीट चौड़ी सड़कों को 80 फीट चौड़ा करने का फैसला लिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि 60 फीट चौड़ी सड़कें "आर्टिरियल" यानी मुख्य सड़क मार्ग की श्रेणी में आती हैं, परंतु जिन सड़कों पर कार्रवाई की गई है उनकी चौड़ाई 60 फीट हैं ही नहीं बल्कि उनसे काफी कम हैं। उन्होंने अपने तर्क को और प्रबलता से पेश करने के लिये कोटपूतली के पुराने मास्टरप्लान के नक्शे भी पेश किये।

जिस पर अदालत ने नगर परिषद की ओर से पैरवी कर रहे वकील से पूछा कि अगर यह मान भी लिया जाये कि उक्त सड़कों की चौड़ाई 60 फीट थी, तब भी नगर परिषद को सड़क चौड़ा करने से पूर्व स्थानीय लोगों से आपत्ति मांगनी होती, फिर उनका निस्तारण कर प्रस्ताव राज्य सरकार से पारित कराना होता, और अन्ततः सड़क चौड़ी कराने का प्रस्ताव गजट नोटिफिकेशन के जरिये प्रकाशित करना होता। अदालत ने नगर परिषद के वकील को बोला कि वे अगली सुनवाई पर मामले के सभी दस्तावेज पेश करे।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 3 च 31 जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड, जयपुर राज. का मूल आवन्टन पत्र क्रमांक 10174 दिनांकित 7/6/1975 व मूल अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 321 दिनांकित 17/5/1990 खो गया है श्री प्रदीप कुमार मूलराजानी व श्रीमती जानवी मूलराजानी ने उपरोक्त मकान पर ऋण लेने के लिये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया आर ए सी पी सी तृतीय मेट्रिक्स मॉल जवाहर नगर जयपुर राज. के यहाँ आवेदन किया है यदि किसी को आपत्ति हो तो सात दिवस के अन्दर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया आर ए सी पी सी तृतीय के यहाँ आपत्ति प्रस्तुत कर देवे। सूचित रहे।

एडवोकेट दिलीप कुमार पारीक राज.हाई कोर्ट

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/922 दिनांक-21.06.2023

कार्यालय आदेश राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 65/11 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 46.080 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री नन्दकिशोर पालीवाल पुत्र श्री तुलाराम पालीवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4226 दिनांक 27.02.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 09.04.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3810 दिनांक 22.03.2004 के द्वारा श्रीमती सुधा कटारिया पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार कटारिया के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 07.04.2004 को करवाया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3921 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा श्रीमती लवजीत अरोरा पत्नी श्री सूरज कुमार के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। श्रीमती लवजीत अरोरा पत्नी श्री सूरज कुमार के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्रीमती पूजा यादव पत्नी श्री दीपेन्द्र यादव को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर में दिनांक 18.03.2023 को करवाया गया। श्रीमती पूजा यादव पत्नी श्री दीपेन्द्र यादव के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास की लीजडीड अपने पक्ष में हस्तान्तरण करवाने हेतु आवेदन पत्र के साथ वैधानिक/वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अतः मण्डल द्वारा समस्त वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त आवास संख्या 65/11 मानसरोवर जयपुर को श्रीमती पूजा यादव पत्नी श्री दीपेन्द्र यादव के नाम हस्तान्तरित किया जाता है भविष्य में उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्यवाही श्रीमती पूजा यादव पत्नी श्री दीपेन्द्र यादव अपने नाम एवं हस्ताक्षरों से करेंगे/करेंगी।

नोट- कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/1275 दिनांक 24.01.2020 के अनुसार यह आदेश किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण/अनाधिकृत उपयोग का नियमितिकरण नहीं एवं कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/894 दिनांक 21.12.2021 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

यह आदेश उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

मुख्यमंत्री मुफ्त की घोषणाएं कर राजस्थान को और अधिक कर्ज में डुबा रहे हैं : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में 2500 करोड़ रुपये से चिरंजीवी परिवार की कार्डधारी महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा के अनुसरण में बजट 2023-24 प्रस्तुत होने यानी करीब 17 माह बाद चुनावी साल में आनन-फानन में आचार संहिता से 2 माह पूर्व 1.35 करोड़ में से मात्र 40 लाख महिलाओं/बेटियों को ही स्मार्टफोन दिया जा रहा है। शेष करीब 95 लाख महिलाओं को फोन कब मिलेगा, इसकी सरकार कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान पहले ही आर्थिक आपातकाल में है। करीब 5 लाख 79 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, इसके बावजूद घोषणाजीवी मुख्यमंत्री महिलाओं के खोये जनाधार को वापिस हासिल करने की जुगत में मुफ्त की घोषणाएं कर राजस्थान को और अधिक कर्ज में डूबा रहे हैं। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना में महिलाओं को बिना पर्याप्त बजटीय प्रावधान के फोन बांटकर सरकार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है।

राठौड़ ने कहा कि वर्तमान युग 5जी टेक्नोलॉजी का है। 5जी टेक्नोलॉजी के एक बेहतर फोन की कीमत औसतन 15 हजार रुपये भी मानी जाये तो करीब 19 हजार 950 करोड़ रुपये की आवश्यकता सरकार को होगी। लेकिन सरकार चुनावी वर्ष में अपनी पुरानी घोषणा को पूरा करने की आड़ में महिलाओं को मात्र 6800 रु प्रति फोन हस्तांतरित कर रही है। आज के दौर में 6800 रुपये का फोन महिलाओं के लिए अनुपयोगी ही साबित होगा और घर में बच्चों के खिलौने के रूप में काम आयेगा। इससे डिजिटल राजस्थान का सपना कैसे साकार होगा?

राठौड़ ने कहा कि बिना पर्याप्त बजटीय प्रावधान के महिलाओं को मोबाइल कंपनियों के गोदाम में बिना बिके, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी व वर्तमान मे जिन्हें कोई खरीदना पसंद नहीं करता, वो फोन महिलाओं को दिये जा रहे हैं। सैमसंग ए 3 कोर गैलेक्सी जैसे फोन तो मार्केट में प्रचलन में ही नहीं हैं। महिलाओं को अन्य कंपनियों के फोन खरीदने के लिए ज्यादा कीमत अपनी जेब से चुकानी होगी। कांग्रेस सरकार अब एक सरकार की तरह नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन डीलर की तरह से काम कर रही है जिसका उद्देश्य मात्र मार्केट से चलन में बाहर हो चुके मोबाइल फोन को खपाना है।

‘2023 में जनता कांग्रेस को कहेगी नो कॉन्फिडेंस’

जयपुर। संसद में विपक्ष की तरफ से पेश किये अविश्वास प्रस्ताव के अस्वीकृत होने पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज पूरे देश ने संसद में भाजपा और एनडीए की ताकत देखी। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर संसद और देश दोनों का समय बर्बाद किया। विपक्ष का ये प्रस्ताव लाने का उद्देश्य एनडीए का नही अपितु स्वयं के गठबंधन का विश्वास जानना था। विपक्ष जानन चाहता था कि कुछ दिन पूर्व बने हमारे गठबंधन के साथी हमारे साथ है भी की नहीं। देश की जनता 2028 में फिर से विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अवसर देगी। जिस प्रकार देश की जनता ने कांग्रेस को नो कॉन्फिडेंस कहा है। उसी प्रकार आने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान की जनता भी गहलोत सरकार को नो कॉन्फिडेंस कहकर विदा करेगी और राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

वन बार वन वोट : बीसीआर व चुनाव समिति से मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन, जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र को लेकर बीसीआर व दी बार एसोसिएशन की चुनाव समिति से 16 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र सिंह व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में पिछले दिनों एकलपीठ ने याचिकाओं का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को खंडपीठ के समक्ष चुनाव के शपथ पत्र में कैलेंडर वर्ष को लेकर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि दी बार एसोसिएशन जयपुर आगामी चुनाव में मतदाताओं से शपथ पत्र मांग रही है, लेकिन वह शर्त गलत है जिसमें 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 की अवधि में किसी अन्य बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान करने वालों को योग्य नहीं माना है।

डीओआईटी के निलंबित संयुक्त निदेशक ईडी रिमांड पर

जयपुर, (का.सं.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने योजना भवन के बेसमेंट में मिले 2.31 करोड़ रुपए की नकदी और एक किलोग्राम सोना से जुड़े मामले में निलंबित चल रहे डीओआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को 14 अगस्त तक ईडी को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। ईडी ने आरोपी से पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड मांगी थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि इस साल अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं। आईओ ने 24 प्रकरण दर्ज होने की जानकारी दी। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी आजकल छोटे-छोटे मामले भी अपने हाथ में लेने लगी है। ऐसे मामले सामान्य भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, लेकिन ईडी जांच में शामिल हो जाती है। वहीं आरोपी वेद प्रकाश के रिमांड लेने पर सवाल करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जब रुपए और सोने की बरामदगी हो चुकी है और एसीबी आरोप पत्र भी पेश कर चुकी है व आरोपी से कोई बरामदगी नहीं होती है तो फिर उसे रिमांड पर लेने की क्या जरूरत है। इस पर आईओ ने कहा कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं बरामद राशि व सोने का स्त्रोत की जानकारी भी लेनी है। ऐसे में रिमांड की जरूरत है। वहीं ईडी के रिमांड मांगने का विरोध करते हुए वेद प्रकाश के वकील ने कहा कि ईडी ने बुधवार को सुबह सात बजे से रात दस बजे तक आरोपी के आवास पर सर्च की। इस दौरान ईडी ने उससे पूछताछ भी की। वहीं देर रात गिरफ्तार करने के बाद आरोपी रातभर व दोपहर पौने तीन बजे तक ईडी की हिरासत में रहा है।

तीये की बैठक

हमारी पूजनीय **श्रीमती शीला सक्सेना** धर्मपत्नी स्व. श्री विजय कुमार सक्सेना का देवलोकगमन 09.08.2023 को हो गया। तीये की बैठक 11.08.2023 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक मंगलम अरोमा, कानाराम पैराडाइज के पास, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- सीए हेमन्त कुमार सक्सेना-तुलिका सक्सेना, देवेन्द्र कुमार सक्सेना-सुनीला सक्सेना (पुत्र-पुत्रवधु), अमीषा, मेघा, चाहना (पौत्री), करण (पौत्र)
9414077740, 9414371127

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

उदयपुरवाटी नगरपालिका चेयरमैन के निलंबन पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग के गत 25 जुलाई के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत उदयपुरवाटी नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास सैनी को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही अदालत ने स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक से जवाब देने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश रामनिवास सैनी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

राज्यपाल कलराज मिश्र से गुरुवार को राजभवन में जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने मुलाकात की। पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट थी।

आम सूचना मेरी अभिभाष्या अमिता जैन पत्नी पी.सी. जैन ने प्लॉट संख्या डी-7 स्थित विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर नगर, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर द्वारा भूखण्ड के मूल अलाटी वीरेन्द्र कुमार गंगवाल से मौखिक अनुबंध के जरिये खरीद की हुयी सम्पत्ति है। वीरेन्द्र कुमार गंगवाल ने मेरी अभिभाष्या को बेची हुई उक्त भूखण्ड को पुनः अन्य व्यक्ति को अवैध बेचान कर दिया है जिसके संबंध में मेरी अभिभाष्या का निषेधाज्ञा, घोषणा व तकमील मुआयदा की कानूनी कार्यवाही जयपुर स्थित न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमे के लम्बित रहते हुए उक्त सम्पत्ति को किसी को भी बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा अवैध बेचान होगा तो वह प्रभावशून्य व अवैध होगा।
अशोक देवानी, एडवोकेट
दिनांक- 10.08.2023 मोबाईल-9829064041

राजस्थान उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6627 दिनांक-03.08.2023

जाहिर आम सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर जयपुर योजना जयपुर में मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप 15 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड संख्यामें आवास संख्या 22/A1/12 क्षेत्रफल 480.00 वर्गमीटर का आवंटन का खातेदार श्री दिलीप अग्रवाल पुत्र श्री कल्याण मल अग्रवाल को किया गया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 11989 दिनांक 12.10.2020 को जारी किया गया था। श्री दिलीप अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 15.10.2020 को सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम के पंजीकृत करवाये गये। श्री दिलीप अग्रवाल द्वारा श्री जगदीश चन्द जैन पुत्र श्री मूल चन्द जैन को दिनांक 04.12.2020 को आवासीय विकसित भूखण्ड संख्या 22/A1/12 North West Part क्षेत्रफल 240.00 वर्गमीटर मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री जगदीश चन्द जैन द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से दिनांक 30.12.2020 को श्री राजीव कुमार पुत्र श्री प्रकाश नारायण के नाम सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात मण्डल में क्रेता श्री राजीव कुमार द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवासीय भूखण्ड संख्या 22/A1/12 उत्तर पश्चिमी 240.00 वर्गमीटर का रिकार्ड में उप विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उपविभाजन आदेश क्रमांक अति.मु.न.नि./स.आ.म./जयपुर/2022-23/242 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा उप विभाजन एवं पुर्नगठन किया गया। श्री राजीव कुमार की मृत्यु दिनांक 08.04.2022 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती उपमा द्विवेदी पत्नी स्व. श्री राजीव कुमार द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड के आवासीय, भूखण्ड संख्या 22/A1/12 उत्तर पश्चिमी 240.00 वर्गमीटर में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवासीय भूखण्ड संख्या 22/A1/12 उत्तर पश्चिमी 240.00 वर्गमीटर के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती उपमा द्विवेदी पत्नी स्व. श्री राजीव कुमार का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल
वृत-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

आम सूचना
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
टोडाभीम जिला करौली राज.
बीना बनाम सचिव ग्राम पंचायत भजेडा
दावा बावत घोषित किये जाने सविल डेथ नोटिस हर खास आम

हर खास आम को सूचित किया जाता है कि वादिया बीना ने इस न्यायालय में उक्त उनवानी वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादिया का पति गोविन्द सिंह दिनांक 01/02/1998 को अपने गांव दांतली तहसील टोडाभीम जिला करौली राज. से टोडाभीम बाजार आया हुआ था, लेकिन शाम तक वह घर नही पहुंचा। जो काफी तलाश करने के बाद भी नही मिला, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी थाना टोडाभीम ने दी। लेकिन पुलिस द्वारा वह दर्ज नही की गयी। इसके बाद से ही वादिया अनवरत रूप से उसकी तलाश कर रही है। लेकिन इसके बाद भी उसका कोई अता-पता नही चला है। इसलिये उक्त गोविन्द सिंह को सिविल डेथ घोषित की जाकर सक्षम अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने एवं गोविन्द सिंह की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियों को नामान्तकरण वादिया को अपने नाम सक्षम प्राधिकारी से करवाने का हकदार घोषित किया जावे।

अतः उक्त वाद पत्र बाबत हर खास आम को किसी को भी कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की हो तो इस न्यायालय के सक्षम दिनांक 14.8.2023 को दिन में 10:00 बजे दावे का उत्तर देने हेतु स्वयं या पिलीडर द्वारा उपसंजात होवे। उक्त तारीख को आप यदि उपसंजात नही होंगे तो वादिया की सुनवाई व उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

यह नोटिस दिनांक 20.7.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मुहर) **सिविल न्यायाधीश**
टोडाभीम, जिला-करौली (राज.)

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्रीमान अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-1 मुकाम जयपुर महानगर द्वितीय
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक जयपुर संघ बाबत एल.आर. मुकेश कुमार
दावा बाबत C.S. 593/12
मुकदमा नम्बर-192 सन् 2001
मुसम्मी राजेश कुमार वल्द स्व. मुकेश कुमार कौम सिन्धी साकिन म.नं. 1129 सुरज भवन के नीचे दुकान गोपाल जी का रास्ता, जयपुर चूंकि... ने इस अदालत में तारीख... माह... सन 199 को 1.... बनाम 2....दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि... मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतव्फी.....बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही... 16 माह 09 सन् 2023 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.08.2023 को जारी किया गया।
(मोहर) **रीडर ग्रेड-प्रथम**
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम-01 जयपुर महानगर-द्वितीय

खोया पाया

मेरे भूखण्ड सं. एफए-123, संशोधित नंबर ए-637 ए-ब्लॉक सिद्धार्थ नगर, नियर जवाहर सर्किल, जयपुर का सोसायटी द्वारा प्रदत्त ग्राउंड प्लान कहीं खो गया है। जिस किसी को मिले मुझे 9414236976 (सोनी देवी) पर सूचित करें।

प्लाट नं. 116/185 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर के नोड्यूज, प्रतिलिपि स्लिप नियमितिकरण, बैलेंस लेटर व उसकी रसीद जो विधिका झुरनी के नाम है। वह कहीं खो गए है। मिलने पर सूचित करें। 9828040881

मेरे मकान संख्या 92/222 गोखले मार्ग, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर के मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें। सतीश चन्द्र अग्रवाल-9314874251

मेरे प्लाट बी-47-48 एवं बी-49-50 शिवम सिटी का मूल सोसायटी पट्टा, साईडप्लान, रसीद गुम गये। जिसको मीणावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर ने जारी किया था। सम्पर्क-मीता बापना-9929417000

मेरे प्लाट बी-189-190 शिवम सिटी का मूल सोसायटी पट्टा, साईडप्लान, रसीद गुम गये। जिसको मीणावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर ने जारी किया था। सम्पर्क-प्रमोद बापना-9799317000

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम प्रियंका रेवंत देवासी से बदलकर प्रियंका देवासी पत्नी श्री सीमांत देवासी कर लिया है। भविष्य में मुझे प्रियंका देवासी के नाम से ही जाना जाए। पता-342 रजनी विहार, अजमेर रोड, जयपुर-302021

मै रऊफ मोहम्मद पुत्र फैज मोहम्मद मैं अपना नाम बदलकर मोहम्मद रऊफ पुत्र फैज मोहम्मद रख लिया है भविष्य में मुझे मोहम्मद रऊफ के नाम से जाना जावें। पता-48-ए, जगदीश कॉलोनी, रामगढ मोड, जयपुर-9829054415

मैं गायत्री देवी पत्नी स्वं. श्री श्रवण सिंह, आर्मी नं. 3003613 एन, रैंक सिपाही युनिट-9 राजपूत, मेरे पति के सर्विस दस्तावेजों में मेरा नाम ग्यात्री देवी तथा जन्म तिथि 1.12.1984 गलत दर्ज हो गया था जबकी मेरा सही नाम गायत्री देवी और जन्म तिथि 01.01.1984 है।

मैं गायत्री देवी पत्नी स्वं. श्री श्रवण सिंह, आर्मी नं. 3003613 एन, रैंक सिपाही युनिट-9 राजपूत, मेरे पति के सर्विस दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम हेमांशु गलत दर्ज हो गया था। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम हिमांशु सिंह है।

I have changed my name from Chander Prakash to Chander Prakash Choraria S/o Dalam Chand Choraria for all purpose. Resi.: J-115, Ashok Chowk, Adarsh Nagar, Jaipur

I Kamlesh Devi is legally wedded spouse of army no 2994226K NK Late arishal R/o village jhujharpur teh.khetri manota kalan district jhunjhunu have changed my daughter name From RENU is wrong entered in service record To RENU KUMARI vide affidavit dated 9 Aug 2023 before district notary Jaipur